सप्तदश माला, खंड 21, अंक 13

शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2022

----

2 पौष, 1944 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिंदी संस्करण)

दसवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 21 में अंक 1 से 13 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

बसन्त प्रसाद
संयुक्त निदेशक

© 2022 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि, हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 21, दसवां सत्र, 2022/1944 (शक)
अंक 13, शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2022/ 2 पौष, 1944 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
विदाई उल्लेख	6-8
राष्ट्रगीत	8

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2022/ 2 पौष, 1944 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

... (व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): सर, चाइना पर चर्चा हो। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, गरिमा बनाकर रखें।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.0½ बजे

विदाई उल्लेख

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब हम सत्रहवीं लोक सभा के दसवें सत्र की समाप्ति पर आ गए हैं। यह सत्र 7 दिसम्बर, 2022 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुईं, जो 68 घंटे 42 मिनट तक चलीं। सभा के चालू सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 97 प्रतिशत रही। सत्र के आरंभ में सदन की एक नए माननीय सदस्य श्रीमती डिम्पल यादव ने दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 को सदस्यता की शपथ ली। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्यों का निपटान किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहला बैच और वर्ष 2019-2020 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा 10 घंटे और 53 मिनट तक चली।

वर्तमान सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए तथा कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं - संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022; संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022; संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022; संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (पाचवाँ संशोधन) विधेयक, 2022; और समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2022।

सभा में माननीय सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के 374 मामले उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 298 मामले सभा में उठाए अथवा पटल पर रखे। लोक सभा की स्थायी समितियों

के 36 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए गए। सत्र के दौरान 56 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिये गये। माननीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 43 वक्तव्य दिए गए, जिनमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य से संबंधित 2 वक्तव्य शामिल हैं। सत्र के दौरान, विभिन्न मंत्रियों द्वारा 1811 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। सभा में "भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता" जिस पर 9वें सत्र में चर्चा आंशिक रूप से हो पाई थी, पर आगे अल्पकालिक चर्चा हुई और माननीय मंत्री जी के उत्तर के साथ सम्पन्न हुई।

इस सत्र के दौरान दिनांक 20 तथा 21 दिसंबर को सदन द्वारा "देश में मादक द्रव्यों के बढ़ते उपयोग की समस्या" के महत्वपूर्ण विषय पर नियम 193 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा हुई। इस चर्चा में सदन के 51 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा माननीय गृह मंत्री जी के उत्तर के साथ सम्पन्न हुई।

गैर-सरकारी सदस्यों के संदर्भ में सत्र के दौरान शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2022 को गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर 59 विधेयक पुरःस्थापित किए गए।

श्री गोपाल चिनैया शेट्टी द्वारा 'जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 29एए का अन्तःस्थापन)' जिस पर 5 अगस्त, 2022 को पिछले सत्र में चर्चा आरंभ हुई थी, वह 9 दिसम्बर, 2022 को भी जारी रही। परंतु चर्चा उस दिन पूरी नहीं हो पाई।

इसी प्रकार, श्री रितेश पाण्डेय द्वारा 'आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय' के संबंध में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प को आगे पुनः 16 दिसम्बर, 2022 को चर्चा हेतु लिया गया। चर्चा पूरी होने के पश्चात्, माननीय महिला और बाल विकास मंत्री महोदया ने उसी दिन वाद-विवाद का उत्तर दिया। चूंकि, संकल्प प्रस्तुत करने वाले माननीय सांसद श्री रितेश पांडेय सभा में उपस्थित नहीं थे, संकल्प को सभा में सहमति हेतु मतदान के लिए रखा गया और संकल्प अस्वीकृत हुआ।

"आदर्श स्टेशन स्कीम के तहत रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण" विषय पर एक निजी संकल्प माननीय सांसद श्री रेडेप्पा नालकोंडा गारी द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को प्रस्तुत किया गया और इस पर चर्चा उस दिन पूरी नहीं हो पाई।

माननीय सदस्यगण, 08 दिसम्बर, 2022 को सभा ने जिम्बाब्वे की संसद के अध्यक्ष महामहिम एडवोकेट जेकब फ्रांसिस एन. मूडेंडा के नेतृत्व में भारत की यात्रा पर आए जिम्बाब्वे का एक संसदीय शिष्टमंडल का हार्दिक स्वागत किया।

माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्यवाही को पूरा करने में योगदान के लिए सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी एवं विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं।

मैं इस अवसर पर सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए महासचिव और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सराहना करता हूं।

मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में संबद्ध एजेंसियों को भी उनके द्वारा प्रदान की गई कुशल सेवाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ।

अब हम सभी "वन्दे मातरम्" के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

राष्ट्रगीत

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

<u>इंटरनेट</u>

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं***:***

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2022 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित